अनुदान संख्या 101 – शहरी रोजगार और गरीबी निवारण विभाग
GRANT No. 101–DEPARTMENT OF URBAN EMPLOYMENT AND POVERTY ALLEVIATION

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	355,10,00		405,62,00	378,20,01	–27,41,99
पूरक	Supplementary	50,52,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					24,95,29
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	286,89,00		286,90,00	271,60,00	–15,30,00
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					4,79,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (2741.99 लाख रु.) दिसम्बर, 2003 और फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए 5052.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 54 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 7 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.2741.99 lakhs) constituted 54 percent of the supplementary grant of Rs.5052.00 lakhs obtained in December, 2003 and February, 2004 and 7 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052''	Major Head "2052"				
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services				
मू.	O.	155.00	282.27	272.96	–9.31
पु.	R.	127.27			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "2215" जल पूर्ति तथा सफाई	Major Head "2215" Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	4000.00	2426.54	2426.54	. .
पु.	R.	–1573.46			
मुख्य शीर्ष "2216" आवास	Major Head "2216" Housing				
मू.	O.	25295.00	24503.90	24494.94	–8.96
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	–793.10			
मुख्य शीर्ष "3475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services		629.00	400.57	–228.43
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	9140.00	10034.00	10034.00	. .
पू.	S.	1050.00			
पु.	R.	–156.00			

(I) 695.40 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 500.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "2216" - "शहरी आवास - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता - हुडको को सहायता" के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.695.40 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these, Rs.500.00 lakhs alone was under Major Head "2216" – "Urban Housing – Assistance to Public Sector and Other Undertakings – Assistance to HUDCO" – due to non-receipt of approval from competent authority.

(II) मुख्य शीर्ष "2215" - "मल-जल तथा सफाई - सफाई सेवाएं - मैला ढोने वालों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय स्कीम" के अंतर्गत 4000.00 लाख रु. की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थीं जो, यद्यपि, एससीडीसी/राज्यों से नई स्कीमों/प्रस्तावों के न होने

(II) Under Major Head "2215" - "Sewerage and Sanitation - Sanitation Services - National Scheme for Liberation and Rehabilitation of Scavengers" - funds of Rs.4000.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of

और राज्यों द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण 1573.46 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(III) मुख्य शीर्ष "2216'' - "शहरी आवास'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "सार्वजनिक क्षेत्रके और अन्य उपक्रमों को सहायता - सामुदायिक शौचालयों के लिए 'निर्मल भारत अभियान' सहित अवसंरचना विकास''- 5328.50 लाख रु. की बचत (5962.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 'निर्मल भारत अभियान' के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) "अन्य व्यय - पटरी पर रहने वालों के लिए स्कीम''- 350.00 लाख रु. की बचत (450.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जो स्कीमें ज्यादा लोकप्रिय नहीं थीं, उनके लिए निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "3475'' - "शहरोन्मुख रोजगार कार्यक्रम - स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना'' के अंतर्गत 228.43 लाख रु. की बचत (629.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आवास व्यवस्था प्रबंधन संस्थान द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान किया गया अनुमोदन प्राप्त न होने/देर से प्राप्त होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3601'' - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अन्य शहरी विकास स्कीम - अन्य अनुदान - पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में आधारभूत सुविधाओं के लिए प्रावधान'' के अंतर्गत 156.00 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत 65.00 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 68 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (5593.50 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2216'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

Rs.1573.46 lakhs - due to lack of new schemes/ proposals from the SCDCs/States and non-submission of utilisation certificates by the States.

(III) Under Major Head "2216"-"Urban Housing" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Infrastructure Development including 'Nirmal Bharat Abhiyan' for Community toilets" - saving of Rs.5328.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5962.50 lakhs) was due to receipt of less proposals from State Governments for construction of Community toilets under the 'Nirmal Bharat Abhiyan'.

(B) "Other Expenditure-Pavement Dwellers Scheme" - saving of Rs.350.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.450.00 lakhs) was due to less requirement of funds for schemes not being very popular.

(IV) Under Major Head "3475"- Urban Oriented Employment Programme - Swaran Jayanti Shahari Rojgar Yojana"- saving of Rs.228.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.629.00 lakhs) was due to non/late receipt of approval by competent authority to Annual Activity Plan submitted by Housing Settlement Management Institute.

(V) Under Major Head "3601"- "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Other Urban Development Scheme- Other Grants - Provision for infrastructure facilities in the Displaced persons Colonies in West Bengal" - saving of Rs.156.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs) was due to non-submission of utilisation certificate.

(VI) Under one head saving of Rs. 65.00 lakhs occurred constituting 68 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.5593.50 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant under Major Head "2216" under the following heads:-

(का) ''शहरी आवास - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता - वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना लागू करने के लिए हुडको को अनुदान''- 5493.50 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 5492.50 लाख रु. था।

(A) "Urban Housing - Assistance to Public Sector and Other Undertaking - Grants to HUDCO for implementation of Valmiki Ambedkar Awas Yojana" - Rs.5493.50 lakhs. Actual excess, however, was Rs.5492.50 lakhs.

(खा) ''सामान्य - भवन, आयोजना और अनुसंधान - भवन निर्माण प्रौद्योगिकी का विकास''- 100.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 99.00 लाख रु. था।

(B) "General – Building, Planning and Research– Development of Building Technology"– Rs.100.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.99.00 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''2052'' - ''सचिवालय - शहरी रोजगार और गरीबी निवारण'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 117.96 लाख रु. का अधिक व्यय (155.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्ष के दौरान विज्ञापनों के प्रकाशन पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

(II) The savings were also offset by excess under Major Head "2052" – "Secretariat – Urban Employment and Poverty Alleviation" – excess of Rs.117.96 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.155.00 lakhs) was due to more expenditure on publication of advertisements during the year.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas		6150.00	5100.00	-1050.00
मुख्य शीर्ष ''6216'' आवास के लिए कर्ज	Major Head "6216" Loans for Housing				
मू.	O.	979.00			
पू.	S.	1.00	501.00	500.00	–1.00
पु.	R.	–479.00			

(I) 500.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष ''6216''- ''शहरी आवास - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - आवास और शहरी विकास निगम'' के अंतर्गत ऊंची ब्याज दर की वजह से स्कीम के लिए पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने और अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त न होने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.500.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "6216"- "Urban Housing - Loans to Public Sector and Other Undertakings - Housing and Urban Development Corporation" - due to non-receipt of sufficient proposals and poor response to scheme owing to high interest rate.

(II) मुख्य शीर्ष "4552" – "अन्य व्यय – पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान" के अंतर्गत 1050.00 लाख रु. की बचत (6150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत आवश्यकता पूरी करने के लिए मुख्य शीर्ष "3601" के अंतर्गत पूरक अनुदान प्राप्त करके राजस्व भाग में 1050.00 लाख रु. की निधियों का उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4552"-"Other Expenditure-Provision for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim"– saving of Rs.1050.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6150.00 lakhs) was due to utilisation of funds of Rs.1050.00 lakhs in the revenue section by obtaining supplementary grant under Major Head "3601" for meeting the requirement under Swaran Jayanti Shahari Rozgar Yojana in the North Eastern Region and Sikkim.